पत्रांक—बि0प्र0सु0मि0सो0/BRPGRA—स्था.—02/2016, सो0 471

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा
अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पटना

पटना, दिनांक— 05/03/2019

विषयः— **श्रीमती साक्षी सिन्हा, कार्यपालक सहायक के मातृत्व अवकाश संबंधी आवेदन पर नियमानुकूल कार्रवाई करने के संबंध में ।**

प्रसंगः— विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सम्बद्ध— विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का पत्रांक—08, दिनांक—27.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाए जो आपको सीधे प्रेषित किया गया है । सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या—12534, दिनांक—17.09.2018 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में मिशन कार्यालय का पत्रांक—436, दिनांक—26.02.2019 सभी जिलों को परिचारित है ।

2— अनुरोध है कि उपर्युक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए श्रीमती साक्षी सिन्हा, कार्यपालक सहायक, सम्बद्ध— विभागीय लो.शि.नि.पदा. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के मातृत्व अवकाश संबंधी आवेदन पत्र पर नियमानुकूल कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनु.—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
4/3/19
(डॉ. प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

D:\SANJAY- 19\AMD.docx

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक............. दिनांक...........

प्रेषक

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
27 FEB 2019
बिहार, पटना

सेवा में,

जिलाधिकारी, पटना।

विषयः– मातृत्व अवकाश के संबंध में।

प्रसंगः– साक्षी सिन्हा, कार्यपालक सहायक (विधि) द्वारा प्राप्त आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्रीमती साक्षी सिन्हा, कार्यपालक सहायक(विधि), के रूप में कार्यरत हैं। चिकित्सीय परामर्श के आलोक में दिनांक–01.12.2018 से 28.02.2019 तक कार्यालय को सूचना देकर मातृत्व अवकाश पर थी। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 12534/पटना दिनांक–17.09.2018 के आलोक में शिशु के जन्म के बाद अठारह सप्ताह, (01.12.2018 से 05.04.2018) तक कुल 18 सप्ताह मातृत्व अवकाश की स्वीकृति चाहती है।

अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 12534/पटना दिनांक–17.09.2018 के बिन्दु 3 (ग) एवं 10 (त) The Maternity Benefite (Amendment) Act. 2017 के आलोक में अनुमान्य अवकाश की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–

1. साक्षी सिन्हा से प्राप्त आवेदन।
2. संकल्प सं0–12534/पटना, दिनांक 17.09.2018
3. चिकित्सीय पुर्जा।

विश्वासभाजन

(डा०अजय कुमार)
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......08 दिनांक......27/02/19

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 अजय कुमार)
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

6

सेवा में,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **मातृव्य अवकाश के संबंध में।**

प्रसंगः– **सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 12534 / पटना दिनांक 17.09.2018**

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन पूर्वक अनुरोध है कि मैं साक्षी सिन्हा, कार्यपालक सहायक(विधि), विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में कार्यरत हूँ। चिकित्सीय की परामर्श के आलोक में दिनांक–23.12.2018 को प्रसव की तिथि थी किन्तु प्रसव 01.12.2018 को हुआ है। अतएव मैं दिनांक–01.12.2018 से 28.02.2019 तक विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में सूचना देते हुए मातृव्य अवकाश पर थी तथा मातृव्य अवकाश की अवधि बढ़ाते हुए संकल्प सं० 12534 / पटना दिनांक–17.09.2018 के अनुसार शिशु के जन्म के बाद(अठारह सप्ताह) 01.12.2018 से 05.04.2018 तक कुल 18 सप्ताह मातृत्व अवकाश की स्वीकृति चाहती हूँ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 12534 / पटना दिनांक–17.09.2018 के बिन्दु 3 (ग) एवं 10 (त) The Maternity Benefite (Amendment) Act. 2017 के आलोक में दिनांक–01.12.2018 से 05.04. 2018 तक मातृव्य अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय (संकल्प की छायाप्रति संलग्न)। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
साक्षी सिन्हा
26/02/2019
(साक्षी सिन्हा)
कार्यपालक सहायक(विधि)
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

62

सेवा में,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– दिनांक–01.12.2018 से 28.02.2019 तक कुल 3 माह हेतु मातृव्य अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

सेवा में सविनय निवेदन पूर्वक अनुरोध है कि मैं साक्षी सिन्हा, कार्यपालक सहायक(विधि), विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक–12.05.2016 को योगदान देकर अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक कार्य कर रही हूँ। परन्तु मुझे अब मातृव्य अवकाश में रहने की सख्त आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे कार्यालय आने–जाने में काफी कठिनाई हो रही है। चिकित्सक के परामर्शानुसार मुझे पूर्ण आराम करने की सलाह दी गयी है।

Seema 30.11.18

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 01.12.2018 से 28.02.2019 तक कुल 3 माह की मातृव्य अवकाश में रहने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय जिसके लिए मैं आपकी सदा अभारी रहूँगी।

अनुलग्नक– चिकित्सक का पूर्जा

विश्वासभाजन
साक्षी सिन्हा
30.11.2018

(साक्षी सिन्हा)
कार्यपालक सहायक(विधि)
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः–विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अनुमोदन के संबंध में।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3/एम०–19/2015 सा०प्र०–6161, दिनांक 24.04.2015 द्वारा किया गया। संकल्प ज्ञापांक 3/एम०–19/2015 सा०प्र०–2423, दिनांक 20.02.2018 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक–12.08.2018 तक के लिए विस्तारित किया गया। समिति द्वारा दिनांक–07.08.2018 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

2. समिति ने प्रत्येक योजना/विभाग के तहत कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में भी अनुशंसाएँ दी हैं, जिनमें वास्तव में समिति द्वारा दी गयी नीतिगत अनुशंसाओं में से कौन–कौन सी अनुशंसाएँ विभिन्न कर्मियों के संबंध में लागू होंगी, का उल्लेख है।

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाएँ दो परिस्थितियों में की गयी है–

(i) कुछ परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यकाल सीमित है। ये परियोजनायें प्रायः केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त सम्पोषित परियोजनायें/योजनायें हैं एवं सीमित अवधि के लिए स्वीकृत होती है। निर्धारित अवधि के बाद इनका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार/अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति पर आधारित है। अतः नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर परियोजनाओं की अवधि के लिए की जाती है। इस श्रेणी में वैसी नियुक्तियाँ भी सम्मिलित हैं जहाँ पदों का सृजन ही अस्थाई है एवं संविदा नियुक्ति हेतु ही किया गया है।

(ii) दूसरी स्थिति में पद स्थायी है, लेकिन संविदा पर नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए अनुशंसा देने में विलम्ब के कारण उस समय तक की जाती है, जब तक नियमित नियुक्तियाँ न हो जाए।

3. अनुशंसाओं को लागू करने हेतु समिति द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है –

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का0 2401, दिनांक–18.07.2007 द्वारा संविदा पर नियुक्तियों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का0 2401, दिनांक 18.07.2007 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं का समावेश कर संशोधित संकल्प निर्गत किया जाए। तत्पश्चात् सभी विभागों द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा एक वरीय पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया जाएगा जो समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन संबंधी संचिकाओं को सचिव/प्रधान सचिव को सीधे उपस्थापित कर सकेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समय सीमा के अंदर समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

4. समिति की अनुशंसाओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं–
(i) उपर्युक्त दोनों श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय परिशिष्ट–'क' के रूप में संलग्न है।
(ii) बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाय।
(iii) कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित विचाराधीन प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु समिति को निदेशित किया जाय।
(iv) जिन मामलों में समिति द्वारा अनियमित/अवैध नियुक्तियों की चर्चा की गयी है, उन मामलों में प्रशासी विभाग विधिक राय प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई करेगा।

5. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/9/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–13/2018सा0 12534 /पटना–15,दिनांक 17.9.18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/9/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–13/2018सा0 12534 /पटना–15,दिनांक 17.9.18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार अभिलेखागार, बेली रोड/विपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

		जा सकता है।	
	2.	**ख. मानदेय/पारिश्रमिक (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 278–279) –** (i) समिति की अनुशंसा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–3/एम0–78/2005–का0 2401, दिनांक 18.07.2007 की कंडिका–'घ' में पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण के संबंध में गठित समिति में आंशिक बदलाव की आवश्यकता है। इस समिति का गठन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया जाना अधिक उपयुक्त होगा जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव/प्रधान सचिव तथा वित्त विभाग के सचिव/प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। (ii) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सम्पोषित योजनाओं/परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण/पुनरीक्षण केन्द्र सरकार/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के लिये निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही किया जा सकता है। प्रायः सभी इस तरह की योजनाओं/परियोजनाओं में संविदा कर्मियों के लिये मानदेय का निर्धारण/पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार राज्य की योजना एवं गैर–योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं/परियोजनाओं में मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। (iii) अन्य कर्मियों, यथा–अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं वाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–2401, दिनांक 18.07.2007 में अंकित वह पारिश्रमिक देय होगा, जहाँ कहा गया है कि "समिति मामले विशेष में बाजार दर को देखते हुये पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी।" (iv) समिति की अनुशंसा है कि निर्धारित पारिश्रमिक 'न्यूनतम मजदूरी' से कम नहीं होगा। जिन योजनाओं/परियोजनाओं में मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है उनके संबंध में यह अनुशंसा लागू नहीं होगी।	स्वीकृत। स्वीकृत। अधोलिखित कंडिका–8 के आलोक में अविचारणीय स्वीकृत।
	3.	**ग. अवकाश की अनुमान्यता (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 279–280) –** समिति की अनुशंसा है कि सभी संविदा कर्मियों को निम्नलिखित अवकाश देने का प्रावधान किया जा सकता है– (1) आकस्मिक अवकाश– सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन, (2) अर्जित अवकाश–एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है, (3) मातृत्व अवकाश– प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 "The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017" के आलोक में कंडिका–(त) में मातृत्व अवकाश के संबंध में अनुशंसा की गयी है। (4) पितृत्व अवकाश– 15 दिन (दो बच्चों तक), (5) अवैतनिक अवकाश– 30 दिन। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।	स्वीकृत। स्पष्टीकरण– अवैतनिक अवका[illegible] अधिकतम 30 दि[illegible] प्रतिवर्ष अनुमा[illegible] होगा।

17/9/18

		जहाँ तक अनुभव के आधार पर अधिमानता का प्रश्न है, अधिमानता (weightage) देते समय अधिकृत विनियामक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिन मामलों में इन अधिकृत विनियामक संस्थाओं के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन लागू हैं उनमें नियुक्ति की योग्यता एवं अधिमानता (weightage) आदि मार्गदर्शन के अनुरूप ही होगी। अन्य मामलों में सेवा की आवश्यकता को देखते हुए विभाग सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अधिमानता (weightage) के बिन्दु पर निर्णय ले सकता है एवं भर्ती विनियमावली में अधिमानता (weightage) का समावेश किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन नियुक्तियों में संविदा नियुक्ति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, वे अवैध नियुक्तियाँ हैं एवं उनके संबंध यह अनुशंसा लागू नहीं होगी।	नियोजन के कार्य किया है।
	10.	त. मातृत्व अवकाश (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 283–284)– दिनांक 27 मार्च, 2017 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 "The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017" को स्वीकृति दी गयी है। इस अधिनियम के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं। लेकिन पालना घर संबंधी प्रावधान 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हैं। यह अधिनियम दस या दस से अधिक कार्यरत महिला कर्मचारियों के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है, जिसमें सरकारी प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं। मातृत्व अवकाश की यह सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो किसी प्रतिष्ठान में पिछले 12 महीनों में 80 दिनों के लिये कार्य कर चुकी हैं। सन् 1961 के अधिनियम में 12 सप्ताह मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले आठ सप्ताह तक का अवकाश अनुमान्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है। दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिये अवकाश अनुमान्य होगा – छः सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं छः सप्ताह शिशु जन्म के बाद। इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी। अधिनियम के तहत किसी प्रतिष्ठान में पचास से अधिक महिला कर्मी कार्यरत होने की स्थिति में प्रतिष्ठान के आसपास पालना घर का इंतजाम करना अनिवार्य है। महिला कर्मचारी अपने बच्चे की देखभाल के लिये काम के घंटों के दौरान चार बार अपने बच्चों से मिल सकती हैं। अधिनियम के तहत नियोक्ता का यह कर्त्तव्य होगा कि प्रत्येक महिला कर्मी को नियुक्ति के समय मातृत्व अवकाश के लाभों के संबंध में अवगत करायें। समिति की अनुशंसा है कि उपर्युक्त लाभ सभी महिला संविदा कर्मियों को दिया जा सकता है।	स्वीकृत।
	11.	थ. संविदा कर्मियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू किया जाना (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 284) – कर्मचारी भविष्य निधि बीमा The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Act, 1952 के प्रावधानों के तहत देय है। अतः समिति द्वारा अलग से अनुशंसा अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह सुविधा पूर्णतया इस कानून के प्रावधानों के अनुसार ही देय होगी।	स्वीकृत।
	12.	द. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना (समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 284) – समिति की अनुशंसा है कि जो भी संविदाकर्मी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अधिनियम में निर्धारित लाभों को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, उनको अधिनियम की शर्तों को पूरा कर लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। संबंधित विभाग/प्राधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।	स्वीकृत।

17/9/18

Hospital : 06115-230105

आरोग्य नर्सिंग होम

थाना रोड, सरकारी हॉस्पीटल के सामने, खगौल (पटना)

DISCHARGE TICKET

Name: Smt Shakshi sinha Age: 27 Sex: f IPD No. 263

~~S/o, D/o,~~ W/o: Mr Munna kumar OPD No. 4565

Address: Dana pur Manipura. Room No. 02

DOA 30/11/18

Dr. Ranjana pandey. DOD 4/12/18

Diagnosis: 8 month + 15 days pregnancy with leaking.

Chief Complaints:

Primi

General Examination P 76/m B.P. 130/90 mm P ↑ I ° Chest clear CVS n

Treatment given:

O.T note LSCS.

LSCS done under S/A Through low transverse incision and a live ~~preterm~~ term male baby delivered by vertex at 4.19 PM on 1-12-18. Baby handed to pediatrician. Liquor was very scanty and greenish. Uterus and abdomen closed in layers.

Baby wt 2.5 kg

56

Investigate:

Bl. Group B+ve

Hb - 11.2 gm

TLC - 9,700 cu

DCL N - 74%, L - 24%, E - 02%

CT M 00%, B 00%

BT

HIV I, II / HBs Ag / Anti HCV — Negetive

Bl. Sugar — Fasting - 97 a, PP

Sr. Creatinine

Sr. Urea

Sr. electrolyte

Na^+

K^+

Cl^- — NA

SGOT 35 U/L

SGPT - 28 U/L

Sr. Billirubin

USG - Single live intrauterine foetus age 35 wk 04 day (1st 12-18)

General Examination At time of discharge

P - 80/m Chest - clear CNS - NAD

BP 110/70 CVS - NAD

Advice

Tb Aughen (625mg) 1+3 - 7 days

Tb Pelesp 1+3 - 7 days

or Bronzend 1+2 - 5 days

Tb Taxim O2 - 10 days

Tb Rabi-1 2 बाजे पेट - 15 days

Cap Afo2 1+1

9-12-18 को टांके कटने दोबारा आना है।

Tb Moncet CV O 1+2 - 2 days

Tb Bronzend 1+2 - 2 days

Tb Celin 1+2 - 5 days

Tb Rabi-1 2 बाजे पेट - 10 days

Baby 1M KNAT imglet

Previous ant - ईता और

Signature